

## कार्यालय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्ध अभिकरण (आत्मा), बेगूसराय

### आदेश

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला चयन समिति, बेगूसराय के पत्रांक: 194 दिनांक: 27-11-14 के आलोक में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन(आत्मा) योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित निम्नलिखित प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल को उनके नाम के सामने अंकित प्रखण्डों में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक का नाम	सहायक तकनीकी प्रबंधक का नाम	लेखापाल का नाम
1.	बेगूसराय	श्वेता कुमारी	नंदन कुमार एवं दिप्ती रंजन	वंदना कुमारी
2.	बरोनी	देवव्रत पटेल	ज्ञानेश्वर कुमार	
3.	मटिहानी	सुरेन्द्र कुमार	खुशबू कुमारी	गोपेश कुमार गौतम
4.	वीरपुर	—	आकांक्षा रमण	
5.	शाम्हाँ	—	अमरेश कुमार	
6.	तेघड़ा	अरविन्द कुमार मोहन	आदित्य वीर एवं अजीत कुमार मौर्य	राकेश कुमार
7.	बछवाड़ा	संजीव कुमार सज्जन	आदित्य कुमार	
8.	भगवानपुर	अग्निनन्दन कुमार	रघुनंदन उपाध्याय	
9.	मंसुरचक	मुकेश कुमार	कुंदन कुमार	
10.	बलिया	रंजय कुमार	कुमार अजय	
11.	सा० कमाल	शमाश्रय कुमार	सतीश कुमार मौर्य	
12.	डंडारी	—	हिमांशु कुमार	
13.	बखरी	संजीव कुमार	विजय कुमार यादव	
14.	गढ़पुरा	ललन कुमार पंडित	रौशन कुमार	
15.	नावकोठी	ज्ञानेश्वर कुमार	दीपक कुमार	
16.	चेरिया बरियारपुर	रॉकी जॉन्स	जयंत कुमार	
17.	खोदावन्दपुर	राकेश कुमार	मोहन कुमार	
18.	छौड़ाही	रामानुज पंडित	सुशील कुमार राय	

विभागीय निदेश के आलोक में उपर्युक्त पदस्थापित सभी प्रखण्ड तकनीकी प्रबन्धक/सहायक तकनीकी प्रबन्धक/लेखापाल को योगदान के समय संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अनुसार एकरारनामा करना अनिवार्य होगा:-

1. संविदा के आधार पर चयन (01) एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक रहने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर सेवामुक्त किया जा सकता है।
2. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी रिश्ति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
3. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा को होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की

अपील जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, आत्मा शाषी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

4. संविदा पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, आत्मा शाषी परिषद का होगा।
6. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतर्विभागीय कार्य समुह द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा।
7. चूँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
8. नियोजित कर्मियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का संबंधित संस्थान से दो महीना के अन्दर सत्यापन कसया जायगा एवं विभाग से प्राप्त सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर के उपरान्त ही कार्यावधि के मानदेय का भुगतान किया जायगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

परियोजना निदेशक, आत्मा,  
-सह -  
सदस्य सचिव  
जिला चयन समितिबेगूसराय।

ज्ञापांक...../आत्मा, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (सभी), बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (सभी)/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगूसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

परियोजना निदेशक, आत्मा,  
-सह -  
सदस्य सचिव  
जिला चयन समितिबेगूसराय।


ज्ञापिकांक...../आत्मा, दिनांक.....

- प्रतिलिपि:- अनुमण्ड पदाधिकारी (सभी), बेगूसराय जिला को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
परियोजना निदेशक, आत्मा,  
-सह -  
सदस्य सचिव  
जिला चयन समितिबेगूसराय।

ज्ञापिकांक 200 /आत्मा, दिनांक 16-12-2014

- प्रतिलिपि:- जिला नोडल पदाधिकारी, बेगूसराय/संयुक्त निदेशक (शस्य) मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- निदेशक, बामेती, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
परियोजना निदेशक, आत्मा,  
-सह -  
सदस्य सचिव  
जिला चयन समितिबेगूसराय।